

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 163/2015

संस्थापन दिनांक 08.04.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—चन्दनसिंह उर्फ चन्दू पुत्र प्रीतमसिंह तौमर उम्र 60 साल
 - 2—मानसिंह पुत्र प्रीतमसिंह तौमर उम्र 33 साल
 - 3—बृजराज उर्फ बिज्जू पुत्र चन्दनसिंह तौमर उम्र 30 साल
 - 4—रामबाबू सिंह पुत्र मानसिंह तौमर उम्र 18 साल
 - 5—कलियानसिंह उर्फ कल्ले तौमर पुत्र चन्दनसिंह उम्र 25 साल
 - 6—चिम्मनसिंह पुत्र मानसिंह तौमर उम्र 21 साल
 - 7—भूरे उर्फ श्यामबाबू तौमर पुत्र चन्दनसिंह उम्र 24 साल
 - 8—छोटू उर्फ रामकिशोर तौमर पुत्र मानसिंह तौमर उम्र 24 साल
 - 9—श्रीमती आशादेवी पत्नी मानसिंह तौमर उम्र 45 साल
- निवासीगण ग्राम भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 147, 323/149, 506 भाग दो और 427 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया

गया है शेष विचारणीय धारा 336 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 27.02.15 को 21:00 बजे फरियादी गुड्डी अ0सा01 का मकान ग्राम भौनुपरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से ईंट, पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि करीब दो वर्ष पूर्व फरियादी गुड्डी अ0सा01 के देवर गजेन्द्रसिंह की हत्या कोकसिंह, गगनसिंह, पवनसिंह ने कर दी थी जो फरार चल रहे थे जिनके दिनांक 27.02.15 को चंदनसिंह के कुंआ पर ठहरने की सूचना मिली थी। इसी बात को पूछने के लिए उसके पति रामदुलारे चंदनसिंह के खेत पर गये थे तो इसी बात पर चंदनसिंह, मानसिंह, छोटू, चिम्मन, रामबाबू, बृजराज, कल्ले, भूरासिंह, श्रीमती आशा एकराय होकर उन लोगों को मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां अपनी छत पर चढ़कर देने लगे जब उसके पति रामदुलारे ने गाली देने से मना किया तो सभी लोग अपनी छत से ईंट का टुकड़ा फेंककर मारने लगे वह अपने आंगन में खड़ी थी तो ईंट का टुकड़ा उसके सिर व दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली में लगा जिससे चोट आई तथा आरोपीगण द्वारा ईंट फेंककर मारने से उसके सीमेन्ट की चादर तथा बदनसिंह के सीमेन्ट की चादर टूट कर नुकसान हुआ तब तक बदनसिंह एवं प्रीति आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। सभी आरोपीगण जाते समय कह रहे थे कि आज तो बच गये आइन्दा हम लोगों से लड़े तो जान से खतम कर देंगे। तत्पश्चात फरियादी गुड्डीदेवी अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में अप0क्र0 20/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 27.02.15 को 21:00 बजे फरियादी गुड्डी अ0सा01 का मकान ग्राम भौनुपरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से ईंट, पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. गुड्डीदेवी अ0सा01 ने कथन किया है कि डेढ़ वर्ष पूर्व पुरानी बातों को लेकर आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था और गाली गलौच हो गयी थी। घटना में गिरने से उसे चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट प्र0पी-1 उसने की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि गजेन्द्रसिंह की हत्या में कोकसिंह, गगनसिंह, पवनसिंह फरार थे जिनके चंदन के कुंए पर सूचना मिलने पर उसके पति रामदुलारे वहां गया था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि इसी बात पर आरोपीगण एकराय होकर आये और ईंट के टुकड़े फेंककर मारे और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-2 में भी दिए जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने नक्शामौका प्र0पी-3 भी स्वयं के समक्ष

बनाये जाने से इंकार किया है।

6. साक्षी बदनसिंह ने भी मुख्यपरीक्षण में गुड्डी अ0सा01 के अनुरूप ही कथन किया है और इस साक्षी ने भी अभियोजन के सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने ईंट के टुकड़े उठाकर फेंककर मारे थे।
7. अतः फरियादी गुड्डीबाई अ0सा01 जिसके विरुद्ध अभियोजित घटना घटित हुई है, ने न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। बदनसिंह अ0सा02 जिसके विरुद्ध रिष्टि का अपराध कारित किया गया है, ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षीगण महत्वपूर्ण साक्षी हैं परन्तु उनके द्वारा आरोपीगण को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से ईंट फेंके जाने के तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है। अतः अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 27.02.15 को 21:00 बजे फरियादी गुड्डी अ0सा01 का मकान ग्राम भौनुपरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से ईंट, पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।
8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 336 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
10. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)